न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :– 52/2021 **जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2021/235**
दायर दिनांक :– 19.03.2021 **निर्णय दिनांक :– 22.08.2025**

वादीगण **बनाम** **प्रतिवादीगण**

1. मुकेश व्यास पुत्र जानकी वल्लभ व्यास
2. रजंना व्यास पत्नि मुकेश व्यास

जाति व्यास (ब्राहमण) निवासी बाड़मेर
हाल निवासी पहली गली चौपासनी
मंदिर के पास, चौपासनी गांव, जोधपुर

01. नाथूसिंह पुत्र सांवतसिंह
02. मेघसिंह पुत्र चन्दनसिंह
03. जगतसिंह पुत्र मंगलसिंह **फौत** के कायम मुकाम

3/1 हड़मानसिंह पुत्र जुगतसिंह
3/2 जबरसिंह पुत्र जुगतसिंह
3/3 नारायणसिंह पुत्र जुगतसिंह

04. बालूकंवर पत्नि लादूसिंह
05. सन्तोष कंवर पत्नि चन्दनसिंह
06. चन्दनसिंह पुत्र अचलसिंह
जाति राजपूत निवासी बारू
तहसील बाप जिला जोधपुर
07. अमरचन्द पुत्र रामनारायण
08. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण
जाति माहेश्वरी (पुगलिया)
निवासी जोधपुर
09. मनोहरलाल पुत्र जुगताराम
10. नैनी पत्नि मनोहरलाल
11. शैतानराम पुत्र जुगताराम
12. शान्ति पत्नि शैतानराम
जाति सुथार निवासी बारू
तहसील बाप जिला जोधपुर
13. कैलाशकंवर पत्नि उम्मेदसिंह
जाति राजपूत निवासी डाबला
तहसील सांचोर जिला जालोर
14. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.
शाखा शेखासर जिला जोधपुर

सहायक कलेक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

22/8/25
सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

15. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी.

शाखा फलोदी जिला जोधपुर

16. श्रीमान तहसीलदार, बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सौंलकी अधिवक्ता वादी

2. श्री प्रकाश विश्नोई अधिवक्ता प्रतिवादी

संख्या 4 ता 6

3. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

सहायक कलेक्टर सत्यमेव जयते बाप जिला फलोदी (राज.)

–:: निर्णय ::–

वादीगण ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय से पेश किया कि ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप में खसरा नम्बर 880 रकबा 466–07 बीघा भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 की संयुक्त काश्त भूमि है जिसे वाद पत्र में वादगस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का हिस्से अनुसार कब्जा काश्त रहा है, वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 ने उक्त वादग्रस्त भूमि का मौका पर आपसी सहमति से हिस्से माफिक बंटवाड़ा कर लिया था।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 व 7 ता 15 की और से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 की और से अधिवक्ता श्री प्रकाश विश्नोई ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी 4 ता 6 जवाब पेश नहीं करना चाहते है। पत्रावली में अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनकर ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप में खसरा नम्बर 880 रकबा 466–07 बीघा भूमि का हिस्सा अनुसार विभाजन प्रस्ताव लाने बाबत प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार बाप द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रतियों में पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली अंतिम बहस में रखी गई।

तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव पर अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्ष ने अपनी बहस में कथन किया कि उनके द्वारा उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन कर लिया गया है तथा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव विधि सम्मत एवं माफिक इस्तदुआ होने से स्वीकार किया जावे साथ में यह भी कथन किया कि उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव के सम्बन्ध में कोई उजर एतराज नहीं है। प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव स्वीकार कर अंतिक डिक्री जारी किये जाने के आदेश फरमाये जाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। बाद मनन एवं अवलोकन पाया गया कि प्रस्तावित विभाजन

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

प्रस्ताव माफिक प्राथमिक डिकी अनुसार तैयार कर तहसीलदार, बाप द्वारा पेश किया गया है। उक्त प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किये जाने हेतु अधिवक्ता वादी द्वारा भी इस्तदुआ की गई है। अतः तहसीलदार बाप द्वारा प्रस्तुत किये गये विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

तहसीलदार बाप द्वारा राजस्व ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप में खसरा नम्बर 880 रकबा 75.3281 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 13 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :–

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा / हैक्टयर	किस्म
1	मुकेश व्यास पुत्र जानकी वल्लभ 1/2 हिस्सा, रंजना व्यास पत्नी मुकेश व्यास 1/2 हिस्सा जाति व्यास सा. बाड़मेर खातेदार	बारू	880	10.8455 हैक्टेयर	बी–3
2	चन्दनसिंह पुत्र अचलसिंह 20/7967, संतोषकंवर पत्नी चन्दनसिंह 660/7967, कैलाश कंवर पत्नी उम्मेदसिंह 540/7967, नाथुसिंह पुत्र सांवतसिंह 1163/7967, बालुकंवर पत्नी लाधुसिंह 500/7967, मेघसिंह पुत्र चन्दनसिंह 1164/7967, जगतसिंह पुत्र मंगलसिंह 1000/7967 जाति राजपूत, शैतानाराम पुत्र जुगताराम 380/7967, शान्ति पत्नी शैतानाराम 380/7967, मनोहरलाल पुत्र जुगताराम 210/7967, नैनी पत्नी मनोहरलाल 390/7967 जाति सुथार सा. देह अमरचन्द पुत्र रामनारायण 780/7967, नरेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण 780/7967 जाति महेश्वरी सा. जोधपुर खातेदार	बारू	880	64.4826 हैक्टेयर	बी–3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग–अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा। डिक्री पर्चा अलग से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.08.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखराम पिण्डेल आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)

अंतिम डिगरी बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 21 नियम 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम बाप जिला फलोदी

पीठासीन अधिकारी सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

वादीगण

1. मुकेश व्यास पुत्र जानकी वल्लभ व्यास
2. रजंना व्यास पत्नि मुकेश व्यास

जाति व्यास (ब्राहमण) निवासी बाड़मेर
हाल निवासी पहली गली चौपासनी
मंदिर के पास, चौपासनी गांव, जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण

01. नाथूसिंह पुत्र सांवतसिंह
02. मेघसिंह पुत्र चन्दनसिंह
03. जगतसिंह पुत्र मंगलसिंह **फौत** के कायम मुकाम

3/1 हड़मानसिंह पुत्र जुगतसिंह
3/2 जबरसिंह पुत्र जुगतसिंह
3/3 नारायणसिंह पुत्र जुगतसिंह

04. बालूकंवर पत्नि लादूसिंह
05. सन्तोष कंवर पत्नि चन्दनसिंह
06. चन्दनसिंह पुत्र अचलसिंह
    जाति राजपूत निवासी बारू
    तहसील बाप जिला जोधपुर
07. अमरचन्द पुत्र रामनारायण
08. नरेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण
    जाति माहेश्वरी (पुगलिया)
    निवासी जोधपुर
09. मनोहरलाल पुत्र जुगताराम
10. नैनी पत्नि मनोहरलाल
11. शैतानराम पुत्र जुगताराम
12. शान्ति पत्नि शैतानराम
    जाति सुथार निवासी बारू
    तहसील बाप जिला जोधपुर
13. कैलाशकंवर पत्नि उम्मेदसिंह
    जाति राजपूत निवासी डाबला
    तहसील सांचोर जिला जालोर
14. शाखा प्रबन्धक आर.एम.जी.बी.
    शाखा शेखासर जिला जोधपुर
15. शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी.
    शाखा फलोदी जिला जोधपुर

सहायक कलक्टर बाप, जिला फलोदी (राज.) सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

16. श्रीमान तहसीलदार, बाप

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या 52/2021

यह मुकदमा आज वास्ते इन फिसाल कतई रूबरू मेरे सुखाराम पिण्डेल पीठासीन अधिकारी व हाजिर राजेन्द्रसिंह सौंलकी मिनजानिब मुदई व मिनजानिब मुदायलहा पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिगरी दी जाती है कि राजस्व ग्राम बारू पटवार क्षेत्र बारू तहसील बाप में खसरा नम्बर 880 रकबा 75.3281 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है। उक्त वादग्रस्त भूमि का वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 13 के मध्य निम्नुसार बंटवाड़ा किया जाता है :-

क्र. स.	पक्षकारान् का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	रकबा/हैक्टयर	किस्म
1	मुकेश व्यास पुत्र जानकी वल्लभ 1/2 हिस्सा, रंजना व्यास पत्नी मुकेश व्यास 1/2 हिस्सा जाति व्यास सा. बाड़मेर खातेदार	बारू	880	10.8455 हैक्टेयर	बी-3
2	चन्दनसिंह पुत्र अचलसिंह 20/7967, संतोषकंवर पत्नी चन्दनसिंह 660/7967, कैलाश कंवर पत्नी उम्मेदसिंह 540/7967, नाथुसिंह पुत्र सांवतसिंह 1163/7967, बालुकंवर पत्नी लाधुसिंह 500/7967, मेघसिंह पुत्र चन्दनसिंह 1164/7967, जगतसिंह पुत्र मंगलसिंह 1000/7967 जाति राजपूत, शैतानाराम पुत्र जुगताराम 380/7967, शान्ति पत्नी शैतानाराम 380/7967, मनोहरलाल पुत्र जुगताराम 210/7967, नैनी पत्नी मनोहरलाल 390/7967 जाति सुथार सा. देह अमरचन्द पुत्र रामनारायण 780/7967, नरेन्द्र कुमार पुत्र रामनारायण 780/7967 जाति महेश्वरी सा. जोधपुर खातेदार	बारू	880	64.4826 हैक्टेयर	बी-3

तहसीलदार बाप को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के विभाजन का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 13 के खाते राजस्व रिकॉर्ड में अलग-अलग कायम कर इसी अनुसार नक्शा लठ्ठा ट्रेस में तरमीम करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नजरी नक्शा निर्णय का अभिन्न भाग समझा जायेगा।नीचे

मुतालिक बाबत् खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक को अदा करे।

बसबब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22.08.2025 को जारी की गई।

सहायक कलेक्टर
बाप (फलोदी)

22/8/25

(सुखाराम पिण्डेल R.A.S.)
सहायक कलक्टर
बाप (फलोदी)

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा वाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बाबत् इजराय हुक्मनामा		
बाबत् इजराय हुक्मनामा			मुत्फरिक		
मिजान			मिजान		

नोट :- इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो न तो दर्ज किया जावे।